राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1481/2007/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स टैक्स एण्ड लिजिंग टैक्स, अलवर. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बेसटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, अलवर. .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/06/2016

निर्णय

1. यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स एण्ड लिजिंग टैक्स, अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 380/उपा–भरत/05–06/आर.एस.टी में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 30 में दिनांक 20.10.2005 को पारित आदेश में निर्धारित कर को अपास्त करते हुये अपील स्वीकार की है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 2002–03 का नियमित कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 29(3) के अन्तर्गत दिनांक 30.07.2005 को पारित किया गया था। उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर अलवर द्वारा जाँच करने पर उनके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये गये कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जो शटरिंग मैटेरियल रुपये 32,36,416/– का राज्य के बाहर से क्रय किया गया है उसे व्यवहारी द्वारा ठेके के कार्य में उपयोग में लिया गया है अथवा अन्यथा उपयोग किया गया है, इस बिन्दु पर जाँच करें। उक्त बिन्दुओ की अनुपालना में कर निर्धारण अधिकारी ने स्टील ट्यूब, एम.एस.पार्टस, जी.आई. शीट, एस.एस. स्टील बार तथा फोल्डिंग रॉड आदि को शटरिंग मैटेरियल की श्रेणी में नहीं मानकर उस पर 4% की दर से करारोपण कर दिया।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने बहस में अपीलीय अधिकारी के आदेश को दोषपूर्ण बताया तथा कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने शटरिंग मैटेरियल के रुप में प्रयुक्त माल का परीक्षण नहीं किया तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त करते हुये अपील स्वीकार करने की मांग की।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया व अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 2002–03 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.07.2005 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी एक बड़ा ठेकेदार है जिसने आलौच्य अवधि में देहली पब्लिक स्कूल, जयपुर के निर्माण का ठेका लिया था। निर्माण कार्यों में ज्यादा मात्रा में शटरिंग मैटेरियल की आवश्यकता होती है। व्यवहारी द्वारा स्टील ट्यूब, एम.एस.पाईप, जी.आई. स्टील ट्यूब सहित शटरिंग मैटेरियल क्रय किया गया था। समस्त माल शटरिंग में प्रयोग में लिया गया था।

7. कर निर्धारण अधिकारी ने नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को बिना किसी जाँच तथा बिना किसी आधार पर इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि स्टील ट्यूब, एम.एस.पाईप, जी.आई. स्टील ट्यूब, फोल्डिंग रोड शटरिंग मैटेरियल की श्रेणी में नहीं आते है। केवल उपायुक्त (प्रशासन) के जाँच के निर्देश के कारण करारोपण किया गया है। अनुमान के आधार पर अथवा स्वअवधारणा के आधार पर करारोपण नहीं किया जा सकता है। करारोपण करने से पूर्व यह साबित करने का भार कर निर्धारण अधिकारी पर होता है कि वह बिक्री को प्रमाणित करें।

8. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 की धारा 29(3) निम्न प्रकार है :–

Section 29. Assessment.-

(3) In the case of works contract, the assessment of a contractor shall be made on the basis of the work done in a year and the amount paid or deducted at source in that year, if any, in lieu of tax, and in the case of a contractor opting for payment of exemption fee in lieu of tax, on the basis of amount of exemption fee paid or deducted at source in a year, and such year shall be deemed to be his accounting year.

लगातार.....3

9. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 की धारा 30 निम्न प्रकार है :–

Section 30. Escaped assessment.-

(1) An assessment -

(a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or

(b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under the Act has been escaped wholly or in part; or

(c) wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way and under any circumstances,

shall be deemed an escaped assessment and the assessing authority shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the limit provided in sub-section (3).

Explanation : The assessment under this section shall not include that part of business which has already been assessed under section 29.

(2) Where the Commissioner or a Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that a dealer has escaped assessment to tax in any manner provided in sub-section (1), he may at any time, subject to the time limit specified in sub-section (3), either direct the assessing authority to assess the tax or the fee or other sum or himself proceed to assess the same.

(3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years and no assessment under the said sub-section shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant assessment year, bur this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in an order passed by an appellate authority or the Tax board or a competent court.

10. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत है तथा उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है अतः अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 24/06/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य